



प्रेस नोट / सराहनीय कार्य

(पत्रांक-123/2023 दिनांक 03.05.2023)

दिनांक-03.05.2023 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

अवैध शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध कार्यवाही- (कुल-04)

थाना को0 पडरौना-

थाना को0 पडरौना पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त अंगद भारती पुत्र लक्ष्मी साकिन जंगल धर्मपुर थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0 367/2023 धारा 60 आबकारी एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना सेवरही-

थाना सेवरही पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त राधेश्याम यादव पुत्र भुट्टी यादव साकिन मोतीपुर थाना ठकरहा जनपद प0 चम्पारण बिहार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 45 शीशी बन्टी बबली देशी शराब बरामद कर मु0अ0सं0 153/2023 धारा 60 आबकारी एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना कसया-

थाना कसया पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्तों 01. बृजेश पुत्र सिंघासन साकिन नन्दा छपरा थाना कसया जनपद कुशीनगर, 02. राकेश पुत्र बेचू प्रसाद साकिन नन्दा छपरा नरायनपुर थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 50 शीशी बन्टी बबली देशी शराब बरामद कर मु0अ0सं0 342/2023, 343/2023 धारा 60 आबकारी एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

लूट की घटना का पर्दाफाश, लूटी गयी एक अदद मोटर साईकिल, अवैध असलहे व एक अदद लोहे की राड के साथ 02 शातिर लूटेरे गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन, श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी खड्डा श्री संदीप वर्मा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विगत दिनांक 25.04.2023 को थाना नेबुआ नौरंगिया क्षेत्रान्तर्गत हुई लूट की घटना के संबंध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 163/2023 धारा 394/34 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था। श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा तत्काल घटना को संज्ञान में लेकर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस की कई टीमों गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे जिसके क्रम में आज दिनांक 03.05.2023 को थाना नेबुआ नौरंगिया व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूरज नगर के पास से घटना में शामिल 02 अभियुक्तों 01. बृजेश यादव पुत्र स्व0

श्रीकान्त यादव साकिन ढाढ़ा थाना हाटा जनपद कुशीनगर, 2-शिवम मिश्रा पुत्र बाबू साहब मिश्रा साकिन ढाढ़ा थाना हाटा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की एक अदद पल्सर मोटर साइकिल चेसिस नं0 MD2A11CY3JRA21217 रंग काला 150 सी0सी0 ,एक अदद तमन्चा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस, एक अदद नकली पिस्टल (लाइटर), एक अदद लोहे का रॉड की बरामदगी की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि व 3/25 व 3/28 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 163/2023 धारा 394/411/34 भादवि व 3/25 व 3/28 आर्म्स एक्ट थाना नेबुआ नौरंगिया

2-मु0अ0सं0 131/2023 धारा 379 भादवि थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1-इतेश यादव पुत्र स्व0 श्रीकान्त यादव साकिन ढाढ़ा थाना हाटा जनपद कुशीनगर

2-शिवम मिश्रा पुत्र बाबू साहब मिश्रा साकिन ढाढ़ा थाना हाटा जनपद कुशीनगर

विवरण बरामदगी-

1-लूट की पल्सर मोटर साइकिल चेसिस नं0 MD2A11CY3JRA21217 तथा इंजन नं0 DHYRJA44159 रंग काला 150 सी0सी0

2-एक अदद तमन्चा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस

3-एक अदद नकली पिस्टल(लाइटर)

4-एक अदद लोहे का रॉड

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम:-

1-निरीक्षक श्री सुशील कुमार शुक्ला स्वाट प्रभारी जनपद कुशीनगर

2-प्र0नि0 श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

3-व0उ0नि0 श्री रत्नेश कुमार मौर्य थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

4-हे0का0 सनातन सिंह स्वाट टीम जनपद कुशीनगर

5-हे0का0 राघवेन्द्र सिंह स्वाट टीम जनपद कुशीनगर

6-हे0का0 अभिषेक यादव सर्विलांस टीम कुशीनगर

7-क0आ0ग्रेड-ए सुशील सिंह सर्विलांस टीम कुशीनगर

8-क0आ0ग्रेड-ए शम्मी कुमार सर्विलांस टीम कुशीनगर

9-का0 चन्द्रशेखर यादव स्वाट टीम जनपद कुशीनगर

10-का0 संदीप भाष्कर स्वाट टीम जनपद कुशीनगर

11-का0 शिवानन्द सिंह स्वाट टीम जनपद कुशीनगर

12-का0 कृष्ण मोहन कुशवाहा थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

13-का0 ओमप्रकाश यादव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

14-का0 प्रेमनरायन यादव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

15-का0 मिथिलेश मौर्य थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 35 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-04 वाहन
- 2- 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-52, व्यक्ति-176
- 3- वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(02)
- 4- अवैध शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध कार्यवाही- (कुल-04)
- 5- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-41)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

